





- अमेरिकी संविधान के आर्टिकल २ के सेवशन
 1 में राष्ट्रपति चुनाव की विस्तृत जानकारी दी गई है।
- कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति
- १. जन्म अमेरिका में ही हुआ होना चाहिए।
- २. कम से कम १४ वर्ष तक अमेरिका में रहा होना चाहिए।
- 3. उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।





चुनाव प्रक्रिया

- अमेरिका में दो पार्टी सिस्टम रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स
- स्टेप १ उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया
- प्राइमरी और कॉकस उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवार को अधिक से अधिक डेलीगेट्स का समर्थन आवश्यक
- प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद पार्टी द्वारा नेशनल कन्वेंशन में उम्मीदवार आ आधिकारिक ऐलान
- डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन जुलाई माह में और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त माह में।





- स्टेप २ जनता द्वारा इलेक्टर का चुनाव
- नवंबर के पहले सप्ताह में जनता द्वारा मतदान किया जाता है।
- मतदान सीधे उम्मीदवार के लिए नहीं होता
- जनता स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है।
- इलेक्टर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है।






इलेक्टोरल कॉलेज

- इलेक्टर के समूह को इलेक्टॉरल कॉलेज कहा जाता है।
- ५३८ कुल सदस्य
- बहुमत २७० इलेक्टर्स
- कार्यकाल ४ वर्ष
- अधिकतम २ बार राष्ट्रपति बना जा सकता है









भारत में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया

• अप्रत्यक्ष चुनाव

चुनाव प्रक्रिया

• नामांकरण चरण - ५० प्रस्तावक तथा समर्थक जमानत राशि - रू १५०००





संवैधानिक प्रावधान -

- अनुच्छेद ५४ राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद ५५ निर्वाचन की रीति
- अनुच्छेद ५६ कार्यकाल
- अनुच्छेद ५७ पुनर्निवाचन हेतु पात्रता
- अनुच्छेद ५८ योग्यता



